प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

1. स्कीम

भारत सरकार ने अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नया ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम शुरू करने का अनुमोदन दिया है। इस स्कीम को ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) नामक दो स्कीमों जो 31 मार्च 2008 तक परिचालन में थी, का विलय करके शुरू किया गया था। पीएमईजीपी वर्ष 2008-09 से परिचालन में है और 15वें वित्त आयोग चक्र अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने हेतु अनुमोदित किया गया है।

पीएमईजीपी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इस स्कीम को राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक संगठन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर, स्कीम का कार्यान्वयन केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी), कयर बोर्ड (कयर संबंधित गतिविधियों के लिए) तथा बैंकों के माध्यम से किया जाता है। सरकार, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अन्य उपयुक्त एजेंसियों को भी शामिल कर सकती है। स्कीम के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी केवीआईसी के माध्यम से वित्तपोषित बैंक शाखाओं को नोडल बैंक से माध्यम से भेजी जाती है और बाद में वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर लॉक-इन अवधि के पूरा होने के बाद लाभार्थी के खाते में अंतरित की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) विशेष रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के क्षेत्र तथा उद्यमिता विकास में प्रशिक्षण, पथ-प्रदर्शन और लाभार्थियों को परामर्श देने सम्बंधी स्कीम के कार्यान्वयन में प्रतिष्ठित भारत सरकार एवं राज्य सरकार/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम(एनएसआईसी)/राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई) के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्यमी मित्रों, ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), ग्रामीण विकास और स्व रोजगर प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी), पंचायती राज संस्थानों एवं अन्य संगत निकायों को संबद्ध करेंगे।

2. उद्देश्य

(i) नए स्व-रोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

(ii) व्यापक रूप से दूर-दूर फैले परंपरागत कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और जहाँ तक संभव हो, उनके स्थान पर ही उन्हें स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

(iii) देश में परंपरागत और भावी कारीगरों एवं ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े भाग को निरंतर और सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोका जा सके।

(iv) श्रमिकों और कारीगरों की मजदूरी-अर्जन क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान देना।

3. वित्तीय सहायता की मात्रा और प्रकृति

3.1 पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत निधियाँ दो प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध होंगी।

I. मार्जिन मनी सब्सिडी

(i) नए सूक्ष्म उद्यमों/इकाइयों की स्थापना के लिए मार्जिन मनी (सब्सिडी) के संवितरण के लिए वार्षिक बजट अनुमान के अंतर्गत निधि आबंटित की जाएगीः और

(ii) मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए बजट अनुमान के अंतर्गत आबंटित निधियों में से, मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए मार्जिन मनी (सब्सिडी) के संवितरण हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए **100 करोड़ रू.** या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित, निर्धारित किया जाएगा।

II. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज

पीएमईजीपी के लिए किसी वित्तीय वर्ष हेतु बजट अनुमान के अंतर्गत **कुल आबंटन का 5%** अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित राशि को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत निधि के रूप में चिह्नित किया जाएगा और जागरूकता शिखर, राज्य/जिला स्तर निगरानी बैठकों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, बैंकरों की बैठकों, टीए/डीए, प्रचार, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण, वास्तविक सत्यापन और जियो-टैगिंग, मूल्यांकन और प्रभाव आकलन अध्ययन, उद्यमिता सुविधा केन्द्र (ईएफसी) की स्थापना, उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई), क्षेत्र विशेषज्ञों और डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों (डीईओ) की नियुक्ति, आईटी अवसंरचना का सृजन और उन्नयन, पुरस्कार, कॉल सेंटर सुविधा, पीएमयू, अन्य संबंधित कार्यकलाप और केवीआईसी द्वारा अन्य बकाया देनदारियों को निपटाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।

3.2 पीएमईजीपी के अंतर्गत वित्तपोषण के स्तर

(i) नए सूक्ष्म उद्यमों (इकाइयों) की स्थापना के लिए

पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणियां (नए उद्यमों की स्थापना के लिए)	लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत) (का	सब्सिडी की दर परियोजना) (लागत की	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान)		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों/महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, ट्रांसजेंडरों, दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांशी जिलों, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि (सरकार द्वारा यथा अधिसूचित) आदि।	05%	25%	35%

टिप्पणीः

1. विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 50 लाख रू. है।
2. व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 20 लाख रू. है।
3. कुल परियोजना लागत की शेष राशि (स्व अंशदान के अतिरिक्त) बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी।
4. अगर कुल परियोजना लागत क्रमशः विनिर्माण और सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिए 50 लाख रू. अथवा 20 लाख से अधिक होती है तो शेष राशि बिना किसी सरकारी सब्सिडी के बैंक द्वारा प्रदान किया जाए।

(ii) मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण

पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणियां (मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए)	**लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत का)**	**सब्सिडी की दर** (लागत की परियोजना)
सभी श्रेणियां	10%	15% (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में 20%)

टिप्पणीः

1. उन्नयन के लिए विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 1.00 करोड़ रू. है। अधिकतम सब्सिडी 15 लाख रू. (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 20 लाख रू.) होगी।
2. उन्नयन के लिए व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रू. है। अधिकतम सब्सिडी 3.75 लाख रू. (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 5 लाख रू.) होगी।
3. कुल परियोजना लागत की शेष राशि (स्वयं के अंशदान के अतिरिक्त) बैंको द्वारा प्रदान की जाएगी।
4. अगर कुल परियोजना लागत क्रमशः विनिर्माण और सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिए 1.00 करोड़ रू. अथवा 25.00 लाख रू. से अधिक होती है तो, शेष राशि बिना क़िसी सरकारी सब्सिडी के बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी।

4. लाभार्थियों की पात्रता शर्तें

4.1 पीएमईजीपी के नए उद्यमों (इकाइयों) के लिए

(i) 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति।

(ii) पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता हेतु कोई आय सीमा नहीं होगी।

(iii) विनिर्माण क्षेत्र में रु. 10 लाख और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में रु. 5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

(iv) पीएमईजीपी के अंतर्गत विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए ही इस स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध है।

(v) मौजूदा इकाइयां (पीएमआरवाई, आरईजीपी या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत) तथा वे इकाइयां जो भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, पात्र नहीं हैं।

पीएमईजीपी (नई इकाइयों) के लिए अन्य पात्रता शर्तें

(i) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत व्यय रहित परियोजनायें वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं।

(ii) जमीन की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। बने-बनाए और पट्टे पर या किराये पर वर्कशेड/वर्कशॉप लेने की लागत को परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि परियोजना लागत में शामिल की जाने वाली बने-

बनाए और पट्टे पर या किराये पर वर्कशेड/वर्कशॉप लेने की लागत की गणना अधिकतम केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए ही की जाएगी।

(iii) पीएमईजीपी पर्यावरण या सामाजिक-आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सरकार/प्राधिकरणों द्वारा प्रतिबंधित कार्यकलापों और दिशानिर्देशों (दिशानिर्देशों का पैरा 30) की नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट कार्यकलापों को छोड़कर ग्रामोद्योग परियोजनाओं सहित सभी नए व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों के लिए लागू है।

(iv) व्यापार गतिविधियां

(क) बिक्री केन्द्रों के रूप में व्यावसायिक/व्यापारिक कार्यकलापों को पूर्वोत्तर क्षेत्र, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)-प्रभावित जिलों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनुमति दी जा सकती है।

(ख) रिटेल केन्द्रों/व्यवसाय-खादी उत्पादों की बिक्री, केवीआईसी द्वारा प्रमाणित खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों से खरीदे गए ग्रामोद्योग उत्पादों और पीएमईजीपी इकाइयों और स्फूर्ति क्लस्टरों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री को ही देश भर में पीएमईजीपी के अंतर्गत अनुमति दी जा सकती है।

(ग) विनिर्माण (प्रसंस्करण सहित)/सेवा सुविधाओं द्वारा समर्थित रिटेल केन्द्रों को देश भर में अनुमति दी जा सकती है।

(घ) उपरोक्त के अनुसार व्यवसाय/व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए परियोजना की अधिकतम लागत [(क) और (ख)] 20 लाख रू. (सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत के समान) हो सकती है।

(ङ) उपर्युक्त [(क), (ख) और (ग)] के अनुसार एक राज्य में एक वर्ष में वित्तीय आबंटन का अधिकतम 10 प्रतिशत व्यवसाय/व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(v) परिवहन गतिविधियां-पर्यटकों या जन-साधारण के परिवहन के लिए परिवहन गतिविधियों अर्थात् कैब/वैन/बोट/मोटर बोट/शिकारा आदि की खरीद की अनुमति होगी। परिवहन क्रियाकलापों के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं की मात्रा पर 10 प्रतिशत की सीमा, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, गोवा, पुदुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप या अन्य विशिष्ट क्षेत्र जिन्हें सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है, के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में लागू है।

(vi) पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित की गई सभी नई इकाइयों को इकाई के वास्तविक सत्यापन से पहले उद्यम पोर्टल के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा और मार्जिन मनी का समायोजन पीएमईजीपी लाभार्थी के ऋण खाते में कर दिया जाएगा।

टिप्पणी :

1) पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजना स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति पात्र है। 'परिवार' में स्वयं और पति/पत्नी शामिल हैं।

4.2 मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए

(i) पीएमईजीपी के अंतर्गत दावा की गई मार्जिन मनी (सब्सिडी) को 3 वर्ष की अवरूद्धता अवधि के पूरा होने पर सफलतापूर्वक समायोजित किया जाना है।

(ii) पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत पहला ऋण निर्धारित समय में सफलतापूर्वक चुकाया जाना है।

(iii) इकाई अच्छे कारोबार के साथ लाभ अर्जित कर रही है और प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण/उन्नयन के साथ लाभ और कारोबार में आगे विकास की संभावना रखती हो।

5. कार्यान्वयन एजेंसियां

5.1 कार्यान्वयन एजेंसियां

यह स्कीम खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा सृजित एक सांविधिक निकाय, खादी और ग्रामाद्योग आयोग (केवीआईसी), मुम्बई द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल एजेंसी होगी।

राज्य स्तर पर स्कीम का कार्यान्वयन केवीआईसी के राज्य निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केन्द्रों और कयर संबंधित कार्यकलापों के लिए कयर बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफ़डीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीएफडीसी) भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड) और राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), उद्यमिता विकास संस्थान (आईईडी) ओडिशा, टीआर एवं टीसी, विकास आयुक्त एमएसएमई का कार्यालय और एमएसएमईडीआई आदि जैसी अन्य एजेंसियों को जब भी जरूरत हो, कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में शामिल किया जा सकता है।

सभी कार्यान्वयन एजेंसियां को, भविष्य में शामिल होने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों सहित, ग्रामीण अथवा शहरी श्रेणी पर ध्यान दिए बिना सभी क्षेत्रों में आवेदनों को प्राप्त और संसाधित करने की अनुमति होगी। केवीआईसी राज्य केवीआईबी/राज्य डीआईसी और अन्य

कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन की निगरानी करेगा। कार्यान्वयन एजेंसियां पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई) के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्यमी मित्रों, आरसेटी/रूडसेटी, पंचायती राज संस्थानों, प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों (खंड 5.2 में यथा उल्लिखित) को भी शामिल करेंगी।

कयर बोर्ड को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पीएमईजीपी के अंतर्गत उनकी स्थापना, पथ-प्रदर्शन (हैन्ड-होल्डिंग) और सलाह के लिए कयर इकाइयों की पहचान करने में शामिल किया जाएगा।

5.2 अन्य एजेंसियां

i. महिला और बाल विकास विभाग (डीडबल्यूसीडी), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और आर्मी वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आवा)।

ii. लघु कृषि और ग्रामोद्योग संवर्धन एवं तकनीकी परामर्श सेवा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण में परियोजना परामर्श का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठन जिनके पास राज्य या जिलों में ग्राम तथा तालुका स्तर पर पहुँचने के लिए अपेक्षित अवसंरचना और मानव शक्ति तथा क्षमता हो। गैर-सरकारी संगठनों को अपने अन्य किन्हीं कार्यक्रमों के लिए राज्य या राष्ट्रीय स्तर की सरकारी एजेंसियों द्वारा पिछले 3 वर्षों की अवधि में वित्तपोषित होना चाहिए।

iii. सरकार/विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों/तकनीकी महाविद्यालय जिनके पास व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए विभाग या आईटीआई, ग्रामीण पॉलिटेक्निक, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण संस्थान आदि जैसे कौशल-आधारित प्रशिक्षण देने के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम हो।

iv. केवीआईसी/केवीआईबी द्वारा सहायता-प्राप्त प्रमाणित केवीआई संस्थान बशर्ते कि वे ए+, ए या बी श्रेणी की हों और उनके पास इस भूमिका के लिए आवश्यक अवसंरचना, मानवशक्ति और विशेषज्ञता हो।

v. केवीआईसी/केवीआईबी के विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र।

vi. विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान (एमएसएमई-डीआई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम टूल रूम तथा तकनीकी विकास केंद्र।

vii. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के कार्यालय, तकनीकी केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र और पीपीपी मोड में स्थापित इन्क्यूबेटर्स और प्रशिक्षण-सह-इन्क्यूबेशन केंद्र (टीआईसी)।

viii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थान, उनकी शाखाएं और उनकी सहभागी संस्थाओं (पीआई) द्वारा स्थापित उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी)।

ix. पीएमईजीपी संघ, जब भी गठित हों।

x. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अन्य एजेंसियां।

6. वित्तीय संस्थाएं

(i) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।

(ii) आरबीआई द्वारा विनियमित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।

(iii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)।

7. लाभार्थियों की पहचान:

जिला स्तर पर लाभार्थियों की पहचान राज्य/जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंकों द्वारा की जाएगी। बैंकरों को शुरू से ही शामिल किया जाना चाहिए ताकि आवेदन पत्र बड़ी संख्या में इकट्ठा होने से बचा जा सके। आवेदकों, जिन्होंने पहले ही उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)/कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी)/उद्यमिता-सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण (वीटी) के अंतर्गत कम से कम 10 दिन (ऑफलाइन मोड के लिए)/60 घंटे (ऑनलाइन मोड के लिए) प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उन्हें फिर से ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2(घ) के तहत यथा परिभाषित "आपदा" से यथा प्रभावित घोषित क्षेत्रों में प्राकृतिक विपत्ति/आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

केवल अधिक मात्रा में सब्सिडी प्राप्त करने की दृष्टि से परियोजना की लागत में अधिकता को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

केवीआईसी ने भारतीय बैंकर संघ (आईबीए) के परामर्श से एक स्कोरिंग मॉडल (स्कोर कार्ड) तैयार किया है जिसका उपयोग कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पीएमईजीपी प्रस्तावों के मूल्यांकन और बैंकों को आवेदनों/प्रस्तावों के अनुवर्ती अग्रेषण के लिए किया जा रहा है। यह स्कोरिंग मॉडल केवीआईसी और मंत्रालय की वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाता है।

8. बैंक वित्त

8.1 लाभार्थी के सामान्य श्रेणी के मामले में बैंक, परियोजना लागत के 90% और लाभार्थी के विशेष श्रेणी के मामले में 95% की मंजूरी देगा और परियोजना की स्थापना के लिए उपयुक्त पूरी राशि संवितरित करेगा।

8.2 बैंक मियादी ऋण के रूप में पूंजीगत व्यय और नकद ऋण के रूप में कार्यशील पूंजी को वित्त पोषित करेगा। बैंक परियोजना का वित्तपोषण संयुक्त ऋण के रूप में भी कर सकता है जिसमें पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजीगत शामिल हैं।

8.3 पीएमईजीपी के अंतर्गत अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रूपए है, जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी शामिल हैं। विनिर्माण इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी घटक परियोजना लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और सेवा/व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी परियोजना लागत के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तथापि, उन परियोजनाओं के लिए जहां पूंजीगत व्यय विनिर्माण/सेवा क्षेत्र इकाइयों के लिए परियोजना लागत की अधिकतम सीमा तक पहुँचती है, बैंक क्रमशः 50 लाख रू. और 20 लाख रू. से अधिक अतिरिक्त निधियों की मंजूरी पर विचार कर सकते हैं। यदि अतिरिक्त निधियां 50 लाख रू./20 लाख रू. से अधिक होंगी उनको सब्सिडी के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा। यदि वहन किया गया पूँजीगत व्यय और कार्यशील पूँजीगत व्यय (उत्पादन की शुरूआत से तीसरे वर्ष के अंत में) बैंक ऋण (स्व योगदान सहित) के अंतर्गत स्वीकृत राशि से कम है तो अतिरिक्त मार्जिन मनी (सब्सिडी) (कमी के प्रति) केवीआईसी को वापस की जाएगी।

8.4 ब्याज दर और पुनर्भुगतान समय-सीमा

सामान्य ब्याज दर प्रभारित की जाएगी। संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा यथा निर्धारित आरंभिक ऋण अधिस्थगन अवधि के बाद 3 से 7 वर्ष की पुनर्भुगतान समय-सीमा हो सकती है।

आरबीआई ने पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं। आरबीआई समय-समय पर उपयुक्त

दिशानिर्देश भी जारी करता है जिससे आरआरबी और अन्य बैंकों को स्कीम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।

9. उद्योग की परिभाषा और रोजगार मानदंड

ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग (निषिद्ध सूची में उल्लिखित को छोड़कर) जो बिजली के प्रयोग से या बिना प्रयोग के किसी वस्तु का उत्पादन करता हो या कोई सेवा देता हो और जिसमें प्रति पूर्णकालिक कारीगर या कामगार नियत पूँजी निवेश अर्थात् मैदानी क्षेत्रों में 3 लाख रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 4.50 लाख रुपये से अधिक वाली परियोजना द्वारा सृजित पूर्णकालिक रोजगार द्वारा विभाजित कारखाना/वर्कशेड, मशीनरी तथा फर्नीचर पर पूँजीगत व्यय हो।

टिप्पणी: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संबंध में पीएमईजीपी के अंतर्गत क्रियाकलापों के लिए विशेष मामलों के रूप में प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 4.5 लाख रूपए किया गया है।

10. ग्रामीण क्षेत्र

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व अभिलेखों के अनुसार, ग्राम के रूप में वर्गीकृत कोई भी क्षेत्र चाहे उसकी आबादी कितनी भी हो।

अथवा

(ii) पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र चाहे उनकी आबादी कितनी भी हो, को ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत माना जाएगा, जबकि नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र माना जाएगा।

11. स्कीम के अंतर्गत आवेदन प्रवाह एवं निधि प्रवाह की ऑनलाइन प्रक्रिया की रूपात्मकताएं

11.1 किसी विशेष जिले को आबंटित लक्ष्य पर निर्भर करते हुए आवधिक अंतरालों पर केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रेस, विज्ञापन, रेडियो एवं अन्य मल्टी-मीडिया के माध्यम से जिला स्तर पर भावी लाभार्थियों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। इस स्कीम का पंचायती राज संस्थाओं और अन्य उपयुक्त सरकारी संगठनों के माध्यम से भी विज्ञापन/प्रचार किया जाएगा जो लाभार्थियों को चिह्नित करने में भी मदद करेंगे।

11.2 ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा और किसी भी मैनुअल आवेदन को अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी पोर्टल को विकसित और संचालित किया गया है। पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत परिभाषित पात्रता मानदंडों के अनुसार नई परियोजनाओं और मौजूदा इकाइयों के उन्नयन/विस्तार के लिए भी आवेदनों को केवल उक्त पीएमईजीपी-पोर्टल के माध्यम से भरा और जमा किया जाएगा।

11.3 नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के उन्नयन हेतु आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए पोर्टल पर अलग ऑनलाइन आवेदन फार्म उपलब्ध है।

11.4 आवेदकों को अपने आवेदन पत्र की स्थिति का पता लगाने में अपने प्रयोग के लिए प्रारंभिक पंजीकरण (आवेदन पत्र भरने) के समय प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक को अंतिम रूप से आवेदन जमा करने पर आवेदन पत्र आईडी भी उपलब्ध करायी जाएगी।

11.5 आवेदक का आधार नंबर अनिवार्य है और आवेदन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ने से पहले यूआईडीएआई डेटाबेस के साथ इसका सत्यापन किया जाता है। उस मामले में जहां व्यक्ति को आधार नंबर नहीं दिया गया हो, ऐसे व्यक्ति को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा और नामांकन नंबर देना होगा। कुछ क्षेत्रों (पूर्वोत्तर क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, आदि) में, जहां व्यक्ति को आधार नंबर जारी नहीं किया गया हो, ऐसे मामले में व्यक्ति को स्कीम के अंतर्गत लाभ के लिए पैन कार्ड आदि जैसे पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन दिए जाएंगे।

11.6 आवेदन प्रस्तुत करने से पहले फोटो और दस्तावेज अपलोड करने के लिए एक प्रावधान होगा जो आवेदन पत्र की जाँच के लिए आवश्यक है। इन दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क. जाति प्रमाणपत्र
- ख. विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र, जहां कहीं भी आवश्यक हो
- ग. ग्रामीण क्षेत्र प्रमाणपत्र
- घ. परियोजना रिपोर्ट
- ङ. शिक्षा/ईडीपी/कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
- च. कोई अन्य लागू दस्तावेज

11.7 आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में संबंधित क्षेत्रों की सभी सूचना भरेंगे। भविष्य में उपयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन सहेजने के तुरंत बाद आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्रयोक्ता नाम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।

11.8 आवेदक को, यथा प्रयोज्य सहायता की पहली और दूसरी किश्त/खुराक के लिए पात्रता मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। आवेदक द्वारा

भरी गई सूचना के आधार पर एक स्व-मूल्यांकित स्कोर सृजित (जेनेरेट) किया जाएगा। सभी प्रलेखनों के पूर्ण होने पर आवेदक अंतिम सबमिशन करेगा और उसे विशिष्ट आवेदन आईडी मिलेगी जिसके द्वारा आवेदन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आवेदक, आवेदन को जमा करने के बाद प्रमाण के रूप में पावती को डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकता है। दस्तावेजों और आवेदन प्रपत्र का पूरा सेट वरीयता-प्राप्त कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दिया जाएगा।

11.9 आवेदन की प्राप्ति के पांच कार्य दिवसों के भीतर, केवीआईसी, राज्य केवीआईबी, डीआईसी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के नोडल अधिकारी आवेदक के साथ व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर अथवा व्यक्तिगत बैठक के माध्यम से वार्ता (इंटरैक्ट) करेंगे और प्रारंभिक जांच के लिए आवेदन की प्राप्ति/स्वीकृति की पुष्टि करेंगे। नोडल अधिकारी आवेदक के साथ परामर्श/प्रति परीक्षण में आवेदन में सभी आवश्यक सुधारों को करेगा और प्रत्येक चरण में आवेदक को पथप्रदर्शन भी प्रदान करेगा। कार्यान्वयन एजेंसी को ऋण निर्णय के लिए वित्तपोषक बैंक को भेजने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित कार्यकलाप स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार है और इसे गतिविधियों की निषिद्ध सूची के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है।

कार्यान्वयन एजेंसियां ऋण निर्णयों के लिए वरीयता क्रम के अनुसार आवेदक द्वारा चुने गए वित्तपोषक बैंकों में से एक को पूर्ण/संशोधित आवेदनों को सीधे अग्रेषित करने अथवा नीचे दिए गए स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर आवेदक को वापस करने के लिए अंतिम निर्णय लेंगी:

परियोजना लागत	**बैंकों को अग्रेषित करने के लिए न्यूनतम स्कोर**
10 लाख रू. तक	100 में से 50
10 लाख रू. से अधिक	100 में से 60

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूर्ण/संशोधित आवेदनों को जल्द से जल्द बैंकों को अग्रेषित किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में अंतिम आवेदन की प्राप्ति के तीन माह के पश्चात नहीं होना चाहिए।

11.10 आवेदन, जो स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप न हों, अथवा जो आवेदक के साथ परामर्श के बाद भी अधूरे हों, उनकी अस्वीकृति के कारणों को रिकार्ड करके संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा। आवेदक को अस्वीकृति का कारण भी बताया जाएगा।

11.11 प्रत्येक जिले में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) स्थापित की जाएगी जो अपने संबंधित जिलों में तिमाही आधार पर पीएमईजीपी के कार्यान्वयन के कार्यनिष्पादन की निगरानी करेगी और इसकी रिपोर्ट आयुक्त/प्रमुख सचिव (उद्योग) को प्रस्तुत करेगी;

क. जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि जो डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे के न हो - अध्यक्ष

ख. पीडी-डीआरडीए/ईओ-जिला पंचायत - उपाध्यक्ष

ग. अग्रणी बैंक प्रबंधक - सदस्य

घ. केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी/ अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि -सदस्य

ङ. एनवाईकेएस/एससी/ एसटी निगम के प्रतिनिधि -विशेष अतिथि

च. एमएसएमई-विकास संस्थान, आईटीआई/पॉलीटेक्निक के प्रतिनिधि -विशेष अतिथि

छ. पंचायत के प्रतिनिधि -3 सदस्य

(अध्यक्ष/जिला मजिस्ट्रेट /उपायुक्त/कलेक्टर द्वारा बारी-बारी से नामित किया जाएगा)

ज. निदेशक आरसेटी/रूडसेटी - सदस्य

झ. महाप्रबंधक, जिले का जिला उद्योग केन्द्र -सदस्य संयोजक

11.12 एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल होगा तथा केवीआईसी, मुख्यालय द्वारा एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। शिकायत प्रकोष्ठ 48 घंटों के अंदर ऑनलाइन शिकायतों पर कार्रवाई करेगा तथा संबंधित राज्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देगा। आवेदक, यदि कार्यान्वयन एजेंसियों की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं होता है तो वह महा-प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र या संबंधित राज्य के केवीआईसी राज्य निदेशक, जो भी वरिष्ठ हो, के पास ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध शिकायत दर्ज करा सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी- केवीआईसी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-केवीआईबी तथा प्रमुख सचिव (उद्योग) संबधित मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

11.13 बैंक परियोजना का मूल्यांकन करेगा और प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर ऋण के बारे में अपना निर्णय लेगा। एजेंसियों द्वारा उन्हें अग्रेषित परियोजनाओं के संबंध में 10 लाख रुपये तक की ऋण वाली परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की तर्ज पर संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाएगा। तथापि, वे यह सुनिश्चित करने के बाद परियोजनाओं का तकनीकी एवं

आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे कि प्रत्येक परियोजना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का मानदंड पूरा करती है।

i. उद्योग
ii. प्रति व्यक्ति निवेश
iii. स्व- अंशदान
iv. ग्रामीण क्षेत्र और
v. निषिद्ध सूची (दिशानिर्देशों का पैरा 30)

11.14 बैंक निर्धारित अवधि में ऋण आवेदनों को या तो स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करेंगे। स्वीकृति ऑनलाइन जारी की जाएगी तथा स्वीकृति आदेश की प्रतियां जिला एजेंसियों से आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर आवेदक (ईमेल/हार्ड कॉपी द्वारा) तथा केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को भेजी जाएगी। उस मामले में जहां आवेदक ने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो, उस स्थिति में, स्वीकृति पत्र ईडीपी प्रशिक्षण कराने के लिए ऑनलाइन ईडीपी पोर्टल और संबंधित आरसेटी, अथवा अन्य अधिकृत प्रशिक्षण केन्द्र को भी स्वतः अग्रेषित किया जाएगा। निर्धारित ईडीपी प्रशिक्षण बैंकों द्वारा ऋण जारी से पहले अनिवार्य है। बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति में देरी के मामले में, आवेदक पीएमईजीपी शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं जो दो कार्य दिवसों के भीतर संबंधित नोडल अधिकारी तक पहुँच जाएगी। संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के नोडल अधिकारी अग्रणी बैंक प्रबंधक के साथ परामर्श करके मामले के समाधान के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएगा।

11.15 आवेदकों को ऋण स्वीकृति के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ईडीपी शुल्कों का भुगतान करने पर केवीआईसी के राज्य कार्यालय के परामर्श से आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् कभी भी ईडीपी प्रशिक्षण ले सकते हैं।

11.16 आवेदक अपनी ऋण स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के भीतर वित्तपोषक बैंक को अपने अंशदान तथा फोटो और आधार नम्बर के साथ ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की प्रति जमा करायेगा। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भी ईडीपी प्रमाणपत्र अपलोड किया जाएगा।

11.17 बैंक ऋण की पहली किस्त पूर्ण या आंशिक रूप से जारी करेगा तथा नोडल बैंक/केवीआईसी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करेगा।

11.18 वित्तपोषक बैंक निम्नलिखित की पूर्ति के अध्यधीन मार्जिन मनी दावे तैयार करेंगे:

i. पहली किश्त जारी करने की तिथि मार्जिन मनी (सब्सिडी) दावे को भरने की तिथि से पहले की हो।

ii. आवेदक द्वारा ईडीपी प्रशिक्षण पूरा किया गया हो और पोर्टल पर अद्यतन किया गया हो।

iii. आवेदक ने अपना अंशदान जमा किया हो।

iv. पहली किश्त का संवितरण पात्रता मार्जिन मनी के बराबर या अधिक हो।

दावों को तैयार करने से पहले, वित्तपोषक बैंकों को यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित क्रियाकलाप स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार हों और उन्हें निषिद्ध क्रियाकलापों की सूची के अंतर्गत कवर नहीं किया गया हो। केवीआईसी मार्जिन मनी दावों को सत्यापित और प्रमाणित करेगी और अगर दावे सही पाए जाते हैं तो 3 कार्य दिवसों के भीतर वित्तपोषक बैंक को आगे मार्जिन मनी जारी करने के लिए नोडल बैंक को अग्रेषित करेगी। मार्जिन मनी दावों में कमियां/त्रुटियां पाए जाने पर, उन्हें सुधारने और पुनः जमा करने के लिए वित्तपोषक बैंकों/कार्यान्वयन एजेंसियों को वापस भेजा जाएगा।

11.19 नोडल बैंक वैधता प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर संबंधित वित्तपोषक बैंक शाखा को केवीआईसी द्वारा विधिमान्य प्राप्त मार्जिन मनी सब्सिडी दावा राशि का अंतरण करेगा।

यदि वित्तपोषण करने वाली बैंक शाखा प्रमाणित करती है कि दावे में प्रस्तुत सभी तथ्य सत्य हैं और इकाई के उपरोक्त क्रियाकलाप पीएमईजीपी स्कीम की निषिद्ध सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और पीएमईजीपी के मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं तो केवीआईसी द्वारा सत्यापन छोड़ा जा सकता है और वित्तपोषण करने वाली बैंक शाखाओं द्वारा ऑनलाइन संवितरण के लिए एमएम दावा सीधे नोडल बैंक पोर्टल को भेजा जाएगा।

11.20 एक बार लाभार्थी की तरफ से मार्जिन मनी (सब्सिडी) वित्तपोषक बैंकों में प्राप्त होने पर, 24 घंटे के भीतर उसे लाभार्थी के नाम पर शाखा स्तर पर तीन वर्षों के लिए सावधि जमा प्राप्ति (टीडीआर)/सब्सिडी आरक्षित निधि (एसआरएफ) में रखा जाना चाहिए। टीडीआर/एसआरएफ पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और टीडीआर/एसआरएफ की सदृश राशि के लिए संवितरित ऋण पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा। बैंकों को पीएमईजीपी पोर्टल पर टीडीआर/एसआरएफ ब्यौरे जैसे

कि टीडीआर/एसआरएफ नंबर और तारीख अद्यतन करना सुनिश्चित करना होगा। वित्तपोषक बैंकों को पीएमईजीपी पोर्टल पर अनुवर्ती ऋण किश्तों और ब्याज दर के ब्यौरे अपलोड करने होंगे।

11.21 उपर्युक्त प्रत्येक चरण में प्रणाली द्वारा आवेदक को स्वत: एसएमएस/ई-मेल अलर्ट भेजा जाएगा।

11.22 यदि लाभार्थी के नियंत्रण से बाहर किन्हीं कारणों से तीन वर्ष की अवधि से पहले बैंक का अग्रिम 'निष्फल' हो जाता है, तो मार्जिन मनी (सब्सिडी) केवीआईसी को वापस कर दी जाएगी। यदि बैंक द्वारा बाद में किसी भी स्रोत से कोई वसूली की जाती है तो उस वसूली का उपयोग बैंक द्वारा उनकी बकाया देयताओं को चुकाने में किया जाएगा।

11.23 मार्जिन मनी (सब्सिडी) सरकार से "एक बारगी सहायता" होगी। ऋण सीमा में किसी वृद्धि या परियोजना के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए, इस स्कीम के अंतर्गत दूसरे ऋण के माध्यम से उन्नयन के लिए चयनित इकाइयों के मामलों के अतिरिक्त मार्जिन मनी (सब्सिडी) सहायता उपलब्ध नहीं है।

11.24 संयुक्त रूप से अर्थात दो विभिन्न स्रोतों (बैंकों/वित्तीय संस्थानों) से वित्तपोषित परियोजनाएं मार्जिन मनी (सब्सिडी) सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

11.25 बैंक वित्त जारी करने से पहले बैंक को लाभार्थी से इस आशय का वचनपत्र लेना होगा कि कार्यान्वयन ऐजेंसी द्वारा आपत्ति (अभिलिखित और लिखित रूप में संप्रेषित किया गया) की स्थिति में, लाभार्थी टीडीआर/एसआरएफ में रखी गई या तीन वर्ष की अवधि के बाद उन्हें जारी की गई मार्जिन मनी (सब्सिडी) को वापस करेगा।

11.26 बैंक और सभी कार्यान्वयन ऐजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक लाभार्थी ने अपने परियोजना-स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर निम्नलिखित साइन बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित किया है :-

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
के अंतर्गत
.... (इकाई का नाम)

.... (बैंक) द्वारा वित्तपोषित, जिले का नाम

11.27 पीएमईजीपी पोर्टल, पीएमईजीपी लाभार्थी द्वारा ऋणों का पुनः भुगतान कैप्चर करता है। संबंधित एजेंसिया अर्थात कार्यान्वयन एजेंसियां भी उनकी स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से और आवश्यक मार्गदर्शन/पथप्रदर्शन और सलाह प्रदान करने के लिए उनकी स्थापना के बाद प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बार इकाइयों का दौरा करेंगी। संबंधित अधिकारी द्वारा ऐसे दौरों के ब्यौरे पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल में कैप्चर किए जाएंगे। पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल को तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा किए गए इकाई के वास्तविक सत्यापन के साथ-साथ लाभार्थी के ऋण खाते में मार्जिन मनी (सब्सिडी) समायोजन के संवितरण का ब्यौरा रखने के लिए सक्षम होना चाहिए।

11.28 पोर्टल का एमआईएस सुनिश्चित करता है कि वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण एवं संवितरण के बीच कोई परस्पर अतिव्यापति नहीं हुई है और यह श्रेणी-वार, ग्रामीण, शहरी, बैंक-वार, जिला-वार, राज्य-वार, वर्ष-वार, उद्योग क्षेत्र-वार, परियोजना आकार-वार आदि सहित विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने में समर्थ है।

11.29 **मौजूदा इकाइयों के उन्नयन हेतु सब्सिडी**

(i) एक अतिरिक्त घटक नामतः पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत स्थापित मौजूदा इकाई के विस्तार/उन्नयन को जोड़ा गया है, जिसमें पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत पहले से ही स्थापित और कारोबार, लाभार्जन और ऋण पुनर्भुगतान के संदर्भ में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही इकाइयां खण्ड 3.2 (ii) में सभी निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए सरकार द्वारा 15-20 प्रतिशत की एक समान सब्सिडी के साथ बैंकों के माध्यम से विनिर्माण इकाइयों के लिए 1.00 करोड़ रूपए तक की आगे अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। सेवा/व्यापार इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता केवल 25 लाख रूपए तक होगी।

(iii) इकाइयों का चयन जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक विकास, परंपरागत कौशल/कच्चा माल आदि की उपलब्धता पर आधारित प्रत्येक जिले से लगभग 10 की दर से पूरे देश से समान रूप से किया जाएगा।

(iv) केवीआईसी ने उन्नयन के लिए मौजूदा इकाइयों द्वारा आवेदन जमा करने के लिए सरलीकृत आवेदन फार्म के साथ पीएमईजीपी-ई-पोर्टल में संगत प्रावधान किया है।

(v) प्रारंभिक जांच के बाद जिला स्तर की एजेंसियां (केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां) वित्तपोषक बैंकों को आवेदन अग्रेषित करेंगे जो आर्थिक और तकनीकी दोनों आधार पर परियोजना का मूल्यांकन करेंगे और ऋण निर्णय लेंगे। वित्तपोषक बैंक पीएमईजीपी इकाइयों के लिए प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार मार्जिन मनी (सब्सिडी) का दावा करेंगे। मार्जिन मनी (सब्सिडी) को तीन वर्षों के लिए टीडीआर/एसआरएफ के रूप में रखा जाएगा। टीडीआर/एसआरएफ पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा और टीडीआर/एसआरएफ की सदृश राशि के ऋण संवितरण पर कोई ब्याज प्रभारित नही किया जाएगा।

(vi) टीडीआर/एसआरएफ को तृतीय-पक्ष एजेंसियों द्वारा वास्तविक सत्यापन की सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि पूर्ण होने पर लाभार्थी के ऋण खाते में समायोजित किया जाएगा। किसी विवाद के मामले में, वित्तपोषक बैंक और तृतीय पक्ष एजेंसियों के साथ संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापन किया जा सकता है। मार्जिन मनी का समायोजन वित्तपोषक बैंक द्वारा संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी से मार्जिन मनी (सब्सिडी) समायोजन पत्र की प्राप्ति पर ही किया जाएगा।

12.1 बजट परिव्यय और लक्ष्य

लगभग 30 लाख रोजगार (8 व्यक्ति प्रति इकाई की दर से) के सृजन के साथ 4 लाख परियोजनाओं (सूक्ष्म उद्यम) की स्थापना के लिए पाँच वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए पीएमईजीपी हेतु 13,554.42 करोड़ रूपए के परिव्यय को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1000 ईकाइयों का उन्नयन किया जाएगा।

12.2 अनुमानित वर्ष-वार वास्तविक और वित्तीय निर्गत/प्रदेय (अनंतिम)

घटक का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय* (करोड़ रू. में)					मानदंड	वास्तविक परिणाम				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
(क) नई इकाइयों के लिए मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी	2350	2450	2525	2625	2779.4	i) स्थापित की जाने वाली नई परियोजनाओं की संख्या (अंकों में)##	75,800	77,700	77,700	80,700	85,500
						ii) सृजित किया जाने वाला अनुमानित रोजगार (लाख व्यक्तियों में)	6.06	6.21	6.21	6.45	6.84
उन्नयन के लिए सब्सिडी (दूसरा ऋण)	100	100	100	100	100	i) उन्नयन की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या (अंकों में)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
						ii) सृजित किया जाने वाला अनुमानित रोजगार (अंकों में)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
(ख) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज (बी एंड एफएल)	50	50	75	75	75	जागरूकता शिविर, प्रदर्शनियां, बैंकरों की बैठक और प्रचार, ईडीपी, वास्तविक सत्यापन, समवर्ती मूल्यांकन, जियो टैगिंग, पीएमयू, क्षेत्रीय विशेषज्ञ डीईओ आदि (खंड 3.1.11 में यथा उल्लिखित) **#** (एमएम/बीएफएल के अंतर्गत आवंटन को उपयोगितानुसार संशोधित/समायोजित किया जा सकता है।					
कुल	2500	2600	2700	2800	2954.42	*नई परियोजनाओं के लिए 8 व्यक्ति की दर से अनुमानित रोजगार					

						** उन्नत परियोजना के लिए 5 व्यक्ति की दर से अनुमानित रोजगार **## वर्ष 2021-22 के लिए औसत प्रति इकाई सब्सिडी को 3.1 लाख रू., वर्ष 2022-23 के लिए 3.15 लाख रू. और वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए 3.25 लाख रू. लिया गया है।**

13. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

13.1 उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए वित्त, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबंधन, बैंकिंग औपचारिकताएँ, बही खाता पद्धति , सांविधिक अनुपालन आदि जैसे विभिन्न प्रबंधकीय और परिचालनात्मक कार्य से संबंधित अभिमुखीकरण एवं जागरूकता प्रदान करना है।

भावी उद्यमी एवं ऐसे लाभार्थी जिनका ऋण बैंको द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से ईडीपी प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण की अवधि दिन 5 लाख रूपए तक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम 5 लाख रूपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के 5 और लिए ईडीपी की अवधि कम से कम शिक्षण लाख रूपए तक की परियोजना के लिए ईडीपी प्र 2 दिन होगी। 10 अनिवार्य नहीं होगा। भावी उद्यमी एवं लाभार्थी प्रशिक्षण का माध्यम चुन सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम के लिए अपनी पसंद का प्रशिक्षण केन्द्र चुन सकते हैं।

मार्जिन मनी सब्स)िडीके दावे के लिए ईडीपी प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रशिक्षण में (बैंक ,सफल ग्रामीण उद्यमीों के साथ परस्पर विचारविमर्श और साथ ही क्षेत्रीय दौरे - के माध्यम से अभिमुखीकरण शामिल होगा।उद्यमिता विकास कार्यक्रम का संचालन केवीआईसी द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में केवीआईसी, केवीआईबी प्रशिक्षण केंद्रों के साथसाथ केंद्र सरकार-, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, तीन राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों अर्थात् निस (ईडीआई)्बड, निम्समे और आईआईई तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत उनके सहभागी संस्थानों, राज्य सरकारों, बैंकों, ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रूडसेटी), प्रतिष्ठित गैर समय पर-सरकारी संगठनों और सरकार द्वारा समय-चिह्नित संगठनोंसंस्थाओं द्वारा/ संचालित प्रत्यायित प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा।

लाभार्थी जिन्होंने केवीआईसी केवीआईबी या प्रतिष्ठित/सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कम से कम दिन का 10 उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण पहले ही ले लिया है, उन्हें नए ईडीपी प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी।

प्रशिक्षण केंद्रों संस्थानों/को केवीआईसी द्वारा चिह्नित किया जाएगा और प्रशिक्षण केंद्रोंसंस्थानों उपलब्ध पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु/, अवधि आदि के बारे में सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को परिचालित करके उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।-

संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा प्रशिक्षण पूरा होने के तुरंत बाद पीएमईजीपी पोर्टल पर पुष्टि के साथ ईडीपी प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त ,डीआई-वीआईसी विशेषज्ञों की नियुक्ति और एमएसएमईके ,विकास आयुक्त एमएसएमई के टीआर निम्समे आदि जैसे संस्थानों ,टीसी-को शामिल करके लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण ,पथ-प्रदर्शन और मार्गदर्शन आदि की व्यवस्था भी करेगा जिनकी इकाइयों की स्थापना को वर्षों से अधिक 3 हो गए हैं।

टिप्पणीः

केवीआईसी ने भावी उद्यमियों को दो दिवसीय (क)निःशुल्क ईडीपी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है।

13.2 .प्रशिक्षण केंद्रों को ईडीपी प्रभारों हेतु बजट

सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रचलित दरों के अनुसार केवीआईसी द्वारा ईडीपी प्रशिक्षण की दर तय की जा सकती है।

14. पीएमईजीपी इकाइयों का वास्तविक सत्यापन

अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों सहित पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित प्रत्येक इकाई की वास्तविक स्थापना और कार्यप्रणाली की स्थिति की जियो टैगिंग के साथ शत-प्रतिशत वास्तविक सत्यापन, इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए केवीआईसी द्वारा किया जाएगा। बैंक, जिला उद्योग केंद्र, केवीआईबी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां 100% वास्तविक सत्यापन सुनिश्चित करने में केवीआईसी के साथ समन्वय और सहायता करेंगे। इकाइयों के ऐसे वास्तविक सत्यापन के लिए केवीआईसी द्वारा एक उपयुक्त तंत्र तैयार किया जाएगा। केवीआईसी द्वारा निर्धारित फार्मेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को सामयिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

वित्तपोषक बैंक द्वारा पहली किश्त जारी होने की तारीख से छह महीने के बाद इकाई की स्थापना पर विचार किया जाएगा। वास्तविक सत्यापन प्रक्रिया इकाई की स्थापना की तारीख से 2 वर्ष के बाद प्रारंभ की जानी चाहिए और 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरा होने से पहले पूर्ण किया जाना चाहिए। वास्तविक सत्यापन और तीन वर्ष की लॉक-इन

अवधि के पूरा होने के बाद, कार्यान्वयन एजेंसियां वित्तपोषक बैंकों को वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के परिणाम पर आधारित एमएम समायोजन पत्र जारी करेंगे। वित्तपोषक बैंक संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों से समायोजन पत्र की प्राप्ति पर ही मार्जिन मनी (सब्सिडी) का समायोजन करेंगे। वित्तपोषक बैंक 3 वर्षों की अनिवार्य लॉक-इन अवधि से पूर्व और साथ ही कार्यान्वयन एजेंसी से समायोजन पत्र के बिना मार्जिन मनी (सब्सिडी) का समायोजन करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। वित्तपोषक बैंक उचित लेखांकन प्रणाली के माध्यम से केवीआईसी को कॉल बैक मार्जिन मनी (सब्सिडी) वापस भेजेंगे। केवीआईसी इसके लिए एक तंत्र विकसित करेगा।

15. जागरूकता शिविर

15.1 पीएमईजीपी को लोकप्रिय बनाने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संभावित लाभार्थियों को स्कीम के बारे में शिक्षित करने के लिए केवीआईसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के निकट समन्वय से देश भर में जागरूकता शिविरों का आयोजन करेगा। जागरूकता शिविरों में विशेष श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों, पूर्वसैनिक-, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों आदि पर विशेष ध्यान देते हुए, बेरोजगार पुरूषों और महिलाओं की भागीदारी होगी। जागरूकता शिविर के दौरान भाग लेने वाले प्रतिभागियों और भावी उद्यमियों की रूचि के क्षेत्र के विवरण का अनुरक्षण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

प्रत्येक जिले में वार्षिक ऐसे दो शिविरों के आयोजन की अनुमति होगी और शिविर का आयोजन कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंको के निकट समन्वय से किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा स्कीम के कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिए खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जागरूकता शिविर के दौरान चिह्नित संभावित लाभार्थियों को विशेषज्ञ स्रोत/एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यकलापों को चिह्नित करने, डीपीआर तैयार करने, दस्तावेजीकरण, ऑनलाइन आवेदन, वित्तपोषक बैंक के साथ समन्वय आदि में पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे शिविरों के आयोजन के प्रचार और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए जागरूकता शिविर हेतु वित्तीय पैटर्न केवीआईसी द्वारा तैयार किया जाएगा और अलग से सूचित किया जाएगा।

15.2 जागरूकता शिविरों में किए जाने वाले अनिवार्य कार्यकलाप :

i. बैनरों, पोस्टरों, होर्डिंगों ,साप्ताहिक वेबिनार, स्थानीय अखबारों में प्रेस विज्ञापनों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचारप्रसार।-

ii. खादी और ग्रामोद्योग आयोग/खादी और ग्रामोद्योग बोर्डकयर बोर्ड/जिला उद्योग केन्द्र/, अन्य अधिकारियों द्वारा स्कीम पर प्रस्तुतीकरण।

iii. क्षेत्र के अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुतीकरण।

iv. सफल पीएमईजीपी उद्यमियों द्वारा प्रस्तुतीकरण।

v. पीएमईजीपी उद्यमियों को स्वीकृति पत्र का वितरण जिनकी परियोजनाएं बैंकों द्वारा स्वीकृत की गई हैं।

vi. प्रेस सम्मेलन।

vii. संभावित लाभार्थियों से आँकड़ों का संग्रह जिनमें लाभार्थी क (निर्धारित फार्मेट में)ा प्रोफाइल, उनके कौशल, पृष्ठभूमि और योग्यताएं, अनुभव, अभिरूचि की परियोजना, आदि की जानकारी शामिल होगी। कार्यान्वयन एजेंसियां प्रतिभागियों को आवश्यक पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करेंगी।

viii. पीएमईजीपी के अंतर्गत विचारार्थ खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार की गई कुछ परियोजनाओं का एक संग्रह केवीआईसीमंत्रालय द्वारा कुछ प्रमुख राज्यों के उद्योग / सचिवोंऔर बैंकों को भेजा गया है। पहले से ही तैयार संग्रह में परियोजनाओं को शामिल करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां ऐसी परियोजनाओं के विवरण केवीआईसी को अग्रेषित करेंगे। बदले में केवीआईसी, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण' के प्रावधानों का उपयोग करते हुए बैंकों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के परामर्श से यथासमय परियोजनाओं के संग्रह में वृद्धि करेगा।

ix. प्रतिभागियों के लाभ के लिए जागरूकता शिविर के दौरान प्रदर्शन के लिए केवीआईसी द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई और उसे पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल एवं केवीआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। केवीआईसी द्वारा पहले ही से अधिक उद्योग 400-वार नमूना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया है ।

x. विपणन सहायता

क) पीएमईजीपी के अंतर्गत इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों को विपणन सहायता जहाँ तक संभव हो, केवीआईसी के बिक्री केंद्रों के माध्यम से दी जाएगी। केवीआईसी के पास गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण और अन्य मानदंडों के आधार पर ऐसी सहायता प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा जिसे केवीआईसी द्वारा केवीआईबी/डीआईसी को अलग से परिचालित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी लाभार्थियों के लाभ के लिए जिलाराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां/अंचल/राज्य/, कार्यशालाएं और क्रेता-विक्रेताबैठकें इत्यादि आयोजित किए जाएंगे।

16. कार्यशालाएँ

क) उद्देश्य

(i) पीएमईजीपी स्कीम और अन्य केवीआईसी स्कीमों, स्फूर्तिष्ट्रीयरा ,एस्पायर , एससी एसटी हब ,एससीएलसीएसएससीडीपी-एमएसई ,चैंपियंस , आदि के अंतर्गत लाभों के बारे में भावी लाभार्थियों को जानकारी देना।

(ii) उत्पादित उत्पादों, सेवाओंव्यवसाय कार्य/कलापों का विवरण, उत्पादन आपूर्ति क्षमता, वर्तमान विपणन स्थापना रोजगार और परियोजना लागत आदि से संबंधित पीएमईजीपी इकाइयों का डेटा बैंक तैयार करना।

(iii) पीएमईजीपी के उद्यमियों से संवाद स्थापित करना ताकि उनसे इकाइयों, उनकी समस्याओं, अपेक्षित सहायता, सफलता की कहानियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।

(iv) पीएमईजीपी इकाइयों की विपणन और निर्यात के क्षेत्रों में सहायता हेतु विशेषज्ञों को शामिल करना।

टिप्पणी :

(i) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यशाला में कम से कम 200 भावी उद्यमी भाग लें।

ख) राज्य स्तरीय कार्यशाला में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल होंगे :

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा राज्य में संयुक्त रूप से राज्य स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान, कार्यान्वयन एजेंसी राज्य में स्कीम का कार्यनिष्पादन प्रस्तुत करेगी और स्कीम की आगे वृद्धि के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। कार्यशाला के दौरान ,एजेंसियां, जिला, तालुका और पंचायत स्तर पर स्कीम की पैंठ का विश्लेषण भी करेंगी। वित्तपोषक बैंको की भागीदारी की भी समीक्षा की जाएगी और विभिन्न बैंको की सक्रिय भागीदारी के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला के दौरान, सफल के साथ-साथ असफल लाभार्थियों के अनुभवों को सुना जाएगा और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समस्या क्षेत्र को चिह्नित किया जाएगा। प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रथाओं, प्रशिक्षण, उत्पाद विकास और विपणन के संदर्भ में विभिन्न सहायता प्रदान करने की संभावनाओं पर भी चर्चा और सिफारिश की जाएगी। राज्य स्तरीय पदाधिकारी जैसे कि सचिव (उद्योग), आरबीआई के प्रतिनिधि, एसएलबीसी संयोजक, प्रमुख बैंकों को आमंत्रित किया जाएगा। ऐसी कार्यशालाएं वर्ष में दो बार

आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं के लिए केवीआईसी द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

ग) केवीआईसी इन कार्यशालाओं का समन्वय करेगा और इन कार्यशालाओं की संख्या को मंत्रालय से अग्रिम में अनुमोदित करा लेगा।

17. प्रदर्शनियाँ

पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने को लिए अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के समन्वय से केवीआईसी द्वारा राष्ट्रीय, आंचलिक, राज्य और जिला स्तरों पर पीएमईजीपी प्रदर्शनियों और पूर्वोत्तर अंचल के लिए विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। केवीआईसी देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों की संख्या को मंत्रालय से अग्रिम में अनुमोदित करा लेगा। प्रदर्शनी कार्यक्रम से पहले अग्रिम में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। केवीआईबी/डीआईसी के माध्यम से स्थापित इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए अलग पैविलियन उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ग्रामीण उद्यमियों और शहरी उद्यमियो के लिए अलग-अलग लोगो और नामपद्धति तैयार की जाएगी। उदाहरण के लिए, ग्रामीण पीएमईजीपी प्रदर्शनियों के लिए ग्रामएक्सपो, ग्रामोत्सव, ग्राम मेला आदि जैसी नामावली का उपयोग किया जा सकता है। केवीआईबी, डीआईसी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के समन्वय से केवीआईसी वार्षिक रूप से एक जिला स्तरीय प्रदर्शनी (प्रति जिला), एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और एक अंचल स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित करेगा।

18. अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता

अपने निर्यात बाजार को विकसित करने के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में पीएमईजीपी इकाइयों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। केवीआईबी, डीआईसी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के समन्वय से केवीआईसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता का आयोजन करेगा और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों से इच्छुक इकाइयों की सूची मँगवाएगा। केवीआईसी यह सुनिश्चित करेगा कि केवीआईबी, डीआईसी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आयोजित मेले में भागीदारी की इच्छुक इकाइयों पर उत्पादों की उत्कृष्टता, विविधता और गुणवत्ता के आधार पर न्यायपूर्ण विचार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सहायता प्रदान किए जाने की पद्धति भारत सरकार द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुसार रहेगी।

19. बैंकर्स समीक्षा बैठकें

पीएमईजीपी एक बैंक संचालित स्कीम है और संबंधित बैंक के स्तर पर ही परियोजनाओं की अंतिम स्वीकृति और ऋण जारी किया जाता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि केवीआईसी, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां नियमित रूप से जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर बैंक के उच्च अधिकारियों से चर्चा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यान्वयन में यदि कोई बाधा हो तो उसे दूर किया जा सकें, परिणाम प्रभावी रुप से प्राप्त हो सकें और लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। निम्नलिखित स्तरों पर बैंकर्स समीक्षा बैठकें निम्नानुसार आयोजित की जाएंगी:

(i) **राज्य स्तरीय बैंकर बैठक**: इस बैठक का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय और मंडलीय कार्यालय द्वारा केवीआईबी, डीआईसी और अन्य संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस बैठक का केंद्र बिंदु एलडीएम स्तर पर बैंक अधिकारियों को पीएमईजीपी के बारे में जानकरी देना और शिक्षित करना और साथ ही स्कीम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और समीक्षा करना होगा। यह बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएगी।

(ii) **आंचलिक समीक्षा बैठकः** पीएमईजीपी स्कीम की समीक्षा और निगरानी के लिए केवीआईसी 6 अंचलों में आंचलिक समीक्षा करेगा जिनमें केवीआईसी, खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि समीक्षा में भाग लेंगे। संबंधित बैंक अधिकारी भी आमंत्रित किए जाएंगे।

(iii) **शीर्ष स्तरीय बैंकर्स बैठकः** खादी और ग्रामोद्योग आयोग छमाही में (जून और दिसंबर में) शीर्ष स्तरीय बैंकर्स बैठक आयोजित करेगा ताकि वित्तीय वर्ष के आरंभ और अंत में समुचित निगरानी की जा सके। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/वरिष्ठ कार्यपालक, एमएसएमई मंत्रालय, राज्य जिला उद्योग केंद्रों, खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि राष्ट्र स्तरीय बैंकर्स बैठक में भाग लेंगे जिसकी अध्यक्षता खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दो समूहों में आमंत्रित किया जाएगा और खादी और ग्रामोद्योग आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि इन छमाही समीक्षा बैठकों में से प्रत्येक में लगभग आधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि (खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों और और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के) सहभागी हों। बैठक में लक्ष्यों की समीक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और पीएमईजीपी के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से संबंधित नीतिगत निर्णयों से जुड़े मुद्दों की जाँच की जाएगी।

20. पीएमईजीपी के अंतर्गत अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण

सभी कार्यान्वयन एजेंसियों, बैंकों और संबंधित एजेंसियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को पीएमईजीपी के प्रचालनात्मक तौर-तरीकों की जानकारी देनी होगी जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा देश भर में राज्य/जिला स्तर पर संचालित 'एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं' में दिया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए केवीआईसी द्वारा अलग से जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियां संयुक्त रूप से, जहाँ भी संभव हो, इस प्रकार की प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करेंगे।

21. कर्मचारियों और अधिकारियों का यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारी प्रासंगिक क्षेत्रीय दौरा करेंगे और पीएमईजीपी के कार्यकलापों की निगरानी करेंगे। पीएमईजीपी की निगरानी और समीक्षा करने और लेखन सामग्री, दस्तावेजीकरण, आकस्मिक व्यय इत्यादि जैसे अन्य प्रशासनिक व्ययों हेतु कर्मचारियों और अधिकारियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रु. अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। इस सहायता के इष्टतम उपयोग और व्यय में किफायत सुनिश्चित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पृथक दिशानिर्देश ज़ारी किए हैं, जिसमें इस प्रकार के क्षेत्रीय दौरों के लिए मानदंड निर्धारित करते हुए व्यय के प्रमाणन के विस्तृत तौर-तरीके शामिल किए गए हैं।

22. प्रचार और संवर्धनात्मक कार्यकलाप

22.1 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अतिविशिष्ट अतिथियों को शामिल करते हुए पोस्टरों, बैनरों, होर्डिंगों, रेडियो जिंगल, टेलीविजन संदेशों, राष्ट्रीय/स्थानीय अखबारों में विज्ञापनों, सोशल मीडिया और अन्य संबंधित गतिविधियों सहित पीएमईजीपी से संबंधित प्रेस सम्मेलनों और कार्यक्रमों सहित आक्रामक प्रचार अभियानों के माध्यम से पीएमईजीपी को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए।

22.2 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के लिए विज्ञापन/प्रचार जारी करना

विज्ञापन अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा के अखबारों में जारी/प्रकाशित किए जाएंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रमों के लिए चौथाई पृष्ठ के और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के लिए आधे पृष्ठ के विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

पीएमईजीपी के लिए किए जाने वाले अपेक्षित प्रचार और संवर्धनात्मक गतिविधियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान पर्याप्त राशि आबंटित की जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ इष्टतम समन्वय और प्रयासों में सामंजस्य सुनिश्चित करते हुए केवीआईसी द्वारा निरुपित दिशानिर्देशों के अनुसार, इस स्कीम के विज्ञापन और प्रचार ज़ारी करने के लिए अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस प्रकार की 25% तक निधियां विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

23. एमआईएस पैकेज, आवेदन ट्रैकिंग प्रणाली, ई-पोर्टल और अन्य सहायक पैकेज

23.1 स्कीम की प्रभावी निगरानी और समीक्षा के लिए ई-गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके अलावा, मौजूदा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के लाभार्थियों के डॉटाबेस का भी दस्तावेजीकरण किया जाना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की एक अलग वेबसाइट तैयार की गई है जिसमें एमएसएमई मंत्रालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों, अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों, एनएसआईसी और बैंकों की सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी देते हुए संगत लिंकेज शामिल है।

पीएमईजीपी वेबसाइट में उपलब्ध जानकारी में निम्नलिखित शामिल हैः-

i. लाभार्थियों द्वारा आवेदन की तिथि
ii. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अग्रेषण की तिथि
iii. बैंकों द्वारा ऋण आवेदन की स्वीकृति
iv. लाभार्थियों को बैंकों से ऋण की किस्ते ज़ारी किया जाना
v. बैंकों द्वारा दावा किए गए मार्जिन मनी को ज़मा किया जाना
vi. नोडल बैंक द्वारा मार्जिन मनी सब्सिडी ज़ारी किया जाना और विधिवत वास्तविक सत्यापन के बाद मार्जिन मनी का समायोजन आदि।

इस स्कीम के कार्यनिष्पादन की प्रभावी निगरानी और कमियों के निदान हेतु पोर्टल में आवश्यक प्रावधान, यदि कोई हों, आगे शामिल किए जाएंगे।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इस सूची को और विस्तार दिया जा सकता है:-

i. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आवेदन की प्रोसेसिंग और बैंकों द्वारा स्वीकृति में लिया गया समय
ii. ऋण की स्वीकृति के बाद लाभार्थियों को ऋण की किस्त समय पर ज़ारी किया जाना
iii. अस्वीकृति के कारण
iv. लाभार्थियों के खाते में मार्जिन मनी सब्सिडी के समायोजन में विलंब आदि।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के समन्वय से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए आवेदनों की ट्रैकिंग हेतु प्रणाली की स्थापना भी की गई है। इसके अतिरिक्त, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की परियोजना की तैयारी हेतु ग्रामीण औद्योगिक परामर्शी सेवाएं' (आरआईसीएस) सॉफ्टवेयर पैकेज को देश में सभी प्रशिक्षण केंद्रों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजना की तैयारी में भावी लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जा सके। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उपयोग के प्रयोजन हेतु फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के अंतर्गत अलग से एक प्रावधान उपलब्ध हैं।

23.2 खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केन्द्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से समुचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित कराने आदि के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए निधियों के उपयोग के संबंध में अतिरिक्त दिशानिर्देश ज़ारी किए जाएंगे। राज्य/केवीआईबी/डीआईसी/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इस संबंध में व्यय के समुचित लेखों का अनुरक्षण किया जाएगा और केवीआईसी द्वारा इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

24.

24.1 पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रस्तावित अनुमानित लक्ष्य

(i) 30 लाख रोजगार (प्रति इकाई 8 व्यक्ति की दर से) के सृजन के साथ लगभग 4 लाख परियोजनाओं की स्थापना के लिए पांच वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2025-26 तक) के लिए पीएमईजीपी हेतु 13,554.42 करोड़ रूपए के परिव्यय को अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1000 इकाइयों का उन्नयन किया जाएगा।

(ii) शुरुआत में, केवीआईसी के राज्य कार्यालय, केवीआईबी और डीआईसी 30:30:40 के अनुपात में स्कीम का कार्यान्वयन कर रहे थे। तथापि, पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल के प्रादुर्भाव के साथ, आवेदन प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। इसलिए, 30:30:40 अनुपात का कोई औचित्य नहीं है। सभी संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आवेदनों की प्रोसेसिंग में फर्स्ट इन-फर्स्ट आउट की अवधारणा का पालन किया जाएगा और 30:30:40 के अनुपात को समाप्त कर दिया जाएगा।

(iii) केवीआईसी मुख्यालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य-वार लक्ष्यों का वार्षिक आबंटन किया जाएगा। केवीआईसी और कार्यान्वयन एजेंसी को संसूचित लक्ष्य प्रतीकात्मक हैं और कार्यान्वयन एजेंसियां और बैंक आबंटित लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

24.2 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों के वितरण के मानदंड

राज्य-वार लक्ष्यों के वितरण हेतु सुझाए गए व्यापक मानदंड निम्नानुसार हैं :

i. राज्य के पिछड़ेपन की सीमा;
ii. बेरोजगारी की सीमा;
iii. विगत वर्षों के लक्ष्यों की पूर्ति की सीमा;
iv. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या; और
v. परंपरागत कौशल और कच्चे माल की उपलब्धता;
vi. नीति आयोग द्वारा चिह्नित आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

24.3 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा राज्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) निदेशालयों/खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य सौंपें जाएंगे। जिला स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति लक्ष्य निर्धारित करेगी। एलएलबीसीसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक जिले में लक्ष्यों

का समान वितरण किया जाए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग/खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों/जिला उद्योग केंद्रों/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के संबंध में राज्य-वार लक्ष्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें जिला-वार लक्ष्यों के समग्र आबंटन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रत्यक्ष जवाबदेही वाले लक्ष्यों में कोई परिवर्तन होने पर, मंत्रालय की सहमति आवश्यक है।

केवीआईसी निदेशालयों/खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों/जिला उद्योग केंद्रों/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सब्सिडी और अन्य मानदंडों (इकाइयों की संख्या, रोज़गार अवसरों आदि) के प्रतीकात्मक लक्ष्य सौंपने हेतु, खादी और ग्रामोद्योग आयोग लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राज्य की ग्रामीण आबादी, राज्य का पिछड़ापन (नीति आयोग द्वारा चिह्नित आकांक्षी जिलों के आधार पर), शहरी बेरोज़गारी स्तर और पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत विगत कार्य-निष्पादन के मानदंड को अपनाएगा।

25. रूग्ण इकाइयों का पुनर्वास

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत रूग्ण इकाइयों को उनके पुनर्वास हेतु समय-समय पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों से संबद्ध किया जाएगा।

26. पंजीकरण

(क) स्कीम के अंतर्गत केवीआईसी/केवीआईबी/राज्य डीआईसी के साथ **पंजीकरण** स्वैच्छिक है। इसके अतिरिक्त, सभी पीएमईजीपी इकाइयों को लाभार्थी के ऋण खाते में मार्जिन मनी के समायोजन से पूर्व उद्यम पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीकृत करना होगा। लाभार्थियों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग दस्तावेजीकरण लागत आदि पर हुए व्ययों की पूर्ति हेतु किया जाएगा।

लाभार्थी उत्पादन, बिक्री, रोजगार, भुगतान की गई मजदूरी आदि के बारे में खादी और ग्रामोद्योग आयोग/ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड/राज्य जिला उद्योग केन्द्र और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को तिमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और बदले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग उनका विश्लेषण करेगा और प्रत्येक छमाही में एमएसएमई मंत्रालय को एक समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) इकाइयों की जियो-टैगिंग: पीएमईजीपी के अंतर्गत पहले से स्थापित और स्थापित किए जाने वाले सभी उद्यमों को जियो-टैग किया जाएगा, जिससे इकाइयों के साथ संपर्क बनाए रखने में सुविधा होगी।

27. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र (अनुसूचित, वाणिज्यिक/सहकारी) के बैंकों की भूमिका

इच्छुक बैंको के पिछले तीन वर्षों के तुलन पत्रों के सत्यापन और केवीआईसी जो इन सभी बैंकों को मैंप करेगा उनके ऋण पोर्टफोलियो की प्रमात्रा की पुष्टि के बाद पीएमईजीपी का कार्यान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/सहकारी बैंकों के माध्यम से भी किया जाएगा। मार्जिन मनी (सब्सिडी) हिस्सा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वास्तविक प्रतिपूर्ति के आधार पर बैंकों को अदा किया जाएगा।

28. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन

28.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की भूमिका

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नियंत्रक और निगरानी एजेंसी होगा। यह लक्ष्य आबंटित करेगा और खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अपेक्षित निधि की स्वीकृति देगा और उसे जारी करेगा। मंत्रालय में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्य-निष्पादन पर तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से राज्यों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रमुख सचिव/आयुक्त (उद्योग), राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के प्रतिनिधि और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में सहभागिता करेंगे।

28.2 खादी और ग्रामोद्योग आयोग की भूमिका

(i) केवीआईसी राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम की एकल नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी प्रत्येक माह राज्य केवीआईबी, डीआईसी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंकों के साथ कार्य-निष्पादन की समीक्षा करेंगे और मंत्रालय को मासिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट भेजेंगे। रिपोर्ट में आबंटित मार्जिन मनी (सब्सिडी) की राशि, सृजित रोजगार और स्थापित परियोजनाओं को दर्शाते हुए लाभार्थियों का घटक-वार ब्यौरा

शामिल होगा। केवीआईसी यह सुनिश्चित करेगा कि मार्जिन मनी (सब्सिडी) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं आदि के लिए अनुमोदित उप घटक योजना के अनुसार उपयोग किया गया है। लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी केवीआईसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, निदेशकों और संबंधित राज्यों के आयुक्त/उद्योग सचिव (डीआईसी) द्वारा अंचल, राज्य और जिला स्तरों पर भी की जाएगी। मौजूदा आरईजीपी इकाइयों की निगरानी अब तक की तरह केवीआईसी द्वारा जारी रहेगी और पृथक मासिक रिपोर्ट सीधे एमएसएमई मंत्रालय को भेजी जाएगी।

(ii) **कयर बोर्ड** अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित कयर इकाइयों की निगरानी करेगा। बोर्ड नियमित रूप से ऐसे इकाइयों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करेगा और केवीआईसी को मासिक रिपोर्ट भेजेगा।

28.3 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका

राज्य के मुख्य सचिव स्कीम की छमाही समीक्षा करेंगे। इस बैठक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रतिनिधि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधि, राज्य निदेशक (खादी और ग्रामोद्योग आयोग), खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य के सचिव/आयुक्त (उद्योग), बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के संबंधित अधिकारी भाग लेंगे। राज्य सरकारें {सचिव/आयुक्त (उद्योग)} आबंटित मार्जिन मनी (सब्सिडी), सृजित रोजगार और स्थापित परियोजनाओं का विवरण लाभार्थियों को घटक-वार विनिर्दिष्ट करते हुए अपने मासिक प्रतिवेदन खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्रेषित करेंगे जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विश्लेषित, संकलित और समेकित किया जाएगा और एक समग्र रिपोर्ट प्रतिमाह मंत्रालय को प्रेषित करेगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की विद्यमान इकाइयों की निगरानी राज्य जिला उद्योग केंद्रों द्वारा अब तक की ही तरह किया जाता रहेगा और प्रतिवेदन सीधे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को भेजा जाएगा।

29. स्कीम का मूल्यांकन

(i) वर्तमान वित्त आयोग चक्र में इसके कार्यान्वयन के तीन वर्षों के बाद, स्कीम का एक समग्र, स्वतंत्र और परिशुद्ध मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर स्कीम को आगे ज़ारी रखने के लिए उसकी समीक्षा की जाएगी।

(ii) **समवर्ती निगरानी और मूल्यांकनः** प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए, पीएमईजीपी की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन (सीएमई) की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी ताकि साथ-

साथ प्रतिपुष्टि प्राप्त हो और सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। यह दो तरफा प्रक्रिया होगी, कार्यान्वयन एजेंसियां अर्थात् केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से नोडल अधिकारी प्रत्येक तीन माह में इकाइयों का दौरा करेंगे और आवश्यक पथप्रदर्शन उपलब्ध कराएंगे और फीडबैक प्राप्त करेंगे, दूसरी ओर एक तृतीय पक्ष एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से इकाइयों का निरंतर मूल्यांकन करेगी और सुधारात्मक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करेगी।

(iii) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार पीएमईजीपी के कार्यान्वयन की निगरानी और सुधार के लिए मंत्रालय और खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुख्यालय में परियोजना मॉनीटरिंग इकाई (पीएमयू) की स्थापना की जाएगी।

30. कार्यकलापों की निषिद्ध सूची

सूक्ष्म उद्यमों/परियोजनाओं/इकाइयों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(i) मांस (वध किया हुआ) से जुड़े किसी उद्योग/व्यवसाय अर्थात भोजन के रूप में मांस का प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी और/या इससे बनी सामग्री परोसना। बीड़ी/पान/सिगार/सिगरेट आदि जैसी नशीली वस्तुओं का उत्पादन/विनिर्माण और बिक्री; कोई ऐसा होटल या ढाबा जहां शराब परोसा जाता है; कच्चे माल के रूप में तंबाकू तैयार/उत्पादन करने; बिक्री के लिए ताड़ी निकालने की अनुमति नही होगी।

(क) तथापि, होटलों/ढाबों पर मांसाहारी भोजन परोसने/ बेचने की अनुमति होगी।

(ii) पर्यावरण या सामाजिक-आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सरकार/ प्राधिकरणों द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियों की अनुमति नही होगी।

(iii) 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन की थैलियों का विनिर्माण और भंडारण ढुलाई, वितरण और खाद्य सामग्री की पैकेजिंग हेतु पुन:चक्रीकृत प्लास्टिक से बने थैले या कन्टेनर का निर्माण और कोई ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है। पॉलिथीन की थैलियों की मोटाई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ज़ारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और समय-समय पर संशोधित अधिसूचना द्वारा शासित होगी।

(iv) चाय, कॉफी, रबर आदि जैसी फसलों/वृक्षारोपण की खेती से जुड़े किसी उद्योग/व्यवसाय; रेशम उत्पादन (कॉकून पालन), उद्यान, फूलों की खेती; पशुपालन की अनुमति नहीं होगी।

(क) तथापि पीएमईजीपी के अंतर्गत इनमें मूल्य वर्धन की अनुमति होगी। रेशम उत्पादन, बागवानी, फूलों की खेती आदि से संबंधित कृषितर/कृषि से संबंधित क्रियाकलापों की भी अनुमति होगी।

पशुपालन से संबंधित निम्नलिखित उद्योगों/व्यवसायों की भी अनुमति होगी:

(क) डेयरी-मुख्य रूप से गाय किन्तु भेड़, बकरी, ऊंट, भैंस, घोड़ों और गधों के माध्यम से दुग्ध और अन्य दुग्ध उत्पाद।

(ख) मुर्गीपालन- उनके अंडों और उनके मांस के लिए मुर्गीपालन जिसमें मुर्गा, टर्की, गीज़ और बतख शामिल है।

(ग)मत्स्य पालन- यह जलीय जीवों की खेती है जिसमें मछली, सीप, कछुआ और जलीय पौधे शामिल हैं।

(घ) कीट- मधुमक्खी, रेशम उत्पादन आदि।

(विशेष मामले के रुप में सुअर पालन, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आजीविका का प्रमुख स्रोत है, केवल पूर्वोत्तर राज्यों में अनुमति दी जा सकती है)

****